23/1/24

अपील अधि० के पृ०सं० पर पत्रावली प्राप्त हुई। अपील अधि० ने एक प्रा०पत्र इस आशय का पेश किया कि अपीलांट अपनी अपील के मुताबिक चलाना नहीं चाहता है इसलिये अपील को खारिज की जावे। अपीलांट अधिवक्ता पर अपीलांट व उसके अपील के बारे समझाया गया। अपील रद्द० के कारण संतुष्ट नहीं हो. अतः अपील अपीलांट नहीं चलाना के खारिज की जावे के पत्रावली के तहत मुताबिक धारा नियम के तहत की जाके एवं कानूनी तकमीली दर्शित करार दी। आदेश सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
नरसिंहपुर (म.प्र.)

जगतार सिंह
Identified by
Advt.
23-1-24